संख्या–4/1/2002टी०सी०–II–का–2/2012

प्रेषक,

राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2–समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3–समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग–2 लखनऊ दिनांक 21 अगस्त, 2012

विषय :– उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा–3(7) को निकाले जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित व्यक्तियों के पक्ष में लोक सेवाओं और पदों पर आरक्षण और उससे संबंधित या अनुषांगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए दिनांक 23–03–1994 को उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 प्रख्यापित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा–3(7) को निकाले जाने हेतु "भारत का संविधान" के अनुच्छेद–213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश 2012 लागू किया गया है।

2–उत्तर प्रदेश लोक सेवा(अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 2012 की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न अध्यादेश, 2012 के प्राविधान का सभी स्तरों पर, सभी लोक सेवाओं व पदों के सम्बन्ध में कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। यह भी अनुरोध है कि इस अध्यादेश के प्राविधान से अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों/प्राधिकारियों को भी अनुपालनार्थ कृपया अवगत करा दें।

संलग्नक–यथोक्त

भवदीय
राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या–4/1/2002(1)टी०सी० II–का–2/2012–तद्दिनांक

प्रतिलिपि सन्दर्भगत अध्यादेश 2012 की प्रति सहित निम्नलिखित अधिकारियों/प्राधिकारियों को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे उक्त अध्यादेश के प्राविधान से कृपया अपने समस्त अधीनस्थों को भी अवगत कराने का कष्ट करें :–

1–प्रमुख सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।

2–प्रमुख सचिव/सचिव, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को सभी सम्बन्धित बोर्डों, निगमों, निकायों आदि में उपरोक्त अध्यादेश को लागू कराने के अनुरोध सहित।

3–प्रमुख सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन तथा सरकार से अनुदान प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं (अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित व प्रशासित शैक्षिक संस्थाओं को छोड़कर) जिनमें किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित समस्त विश्वविद्यालय भी सम्मिलित हैं, की सेवाओं और पदों में उपर्युक्त अध्यादेश के प्राविधान को लागू करने के अनुरोध सहित।

4–प्रमुख सचिव/सचिव, सहकारिता विभाग उत्तर प्रदेश शासन को समस्त संबंधित सहकारी समितियों आदि में उक्त अध्यादेश के प्राविधान को लागू कराये जाने के अनुरोध सहित।

5–प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग/आवास विभाग/पंचायती राज विभाग को उनके अधीनस्थ सभी सम्बन्धित संस्थाओं आदि में उपरोक्त अध्यादेश के प्राविधान लागू कराने के अनुरोध सहित।

6–राज्य के समस्त उपक्रमों/निगमों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/कार्यकारी अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

7–प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों (केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को छोड़कर) के निबन्धक।

8–निबन्धक, उत्तर प्रदेश सहकारी समितियां, लखनऊ।

9–समस्त विकास प्राधिकरणों के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सचिव, उत्तर प्रदेश।

10–समस्त महाप्रबन्धक, जल संस्थान, उत्तर प्रदेश।

11–निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश।

12–निदेशक, उच्च शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा, लखनऊ।

13–समस्त अध्यक्ष, जिला परिषद/नगर महापालिका/नगर पालिका/टाउन एरिया, उत्तर प्रदेश।

14–निबन्धक, हाई कोर्ट, इलाहाबाद/लखनऊ बेन्च, लखनऊ।

15–निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश।

16–प्रमुख सचिव/सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।

17–सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

18–सचिवालय के समस्त अनुभाग।

19–समस्त निजी सचिव, मा० मंत्रीगण को मा० मंत्री जी के सूचनार्थ।

20–वेब अधिकारी/वेब मास्टर, नियुक्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

21–निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

22–गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,
जे० पी० एन० द्विवेदी,
उप सचिव।

क्रम-संख्या–153

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–
डब्लू०/एन०पी०–91/2011–13
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–2, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश)

लखनऊ, बुधवार, 1 अगस्त, 2012

श्रावण 10, 1934 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 574/79-वि-1–12-2(क)-4-2012

लखनऊ, 1 अगस्त, 2012

अधिसूचना

विविध

संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय ने निम्नलिखित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 2012 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3 सन् 2012) प्रख्यापित किया है जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 2012

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3 सन् 2012)

[भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित]

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अध्यादेश

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 2012 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 7 मई, 2012 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1994 की धारा 3 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 में उपधारा (7) निकाल दी जायेगी।

निरसन और अपवाद

3--(1) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2012 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 सन् 2012

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी, मानो इस अध्यादेश के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

बी० एल० जोशी,
राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
जकी उल्लाह खाँ,
प्रमुख सचिव।

No. 574(2)/LXXIX-V-1-12-2(Ka)4-2012

Dated Lucknow, August 1, 2012

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan-Jatiyon Aur Anya Pichhare Vargon Ke Liye Arakshan) (Sanshodhan) (Dwitiya) Adhyadesh, 2012 (Uttar Pradesh Adhyadesh Sankhya 3 of 2012) promulgated by the Governor.

THE UTTAR PRADESH PUBLIC SERVICES (RESERVATION FOR SCHEDULED CASTES, SCHEDULED TRIBES AND OTHER BACKWARD CLASSES) (AMENDMENT) (SECOND) ORDINANCE, 2012

(U.P. Ordinance no. 3 of 2012)

[*Promulgated by the Governor in the Sixty-third Year of the Republic of India*]

An

ORDINANCE

futher to amend the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes) Act, 1994.

Whereas, the State Legislature is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance:-

Short title and commencement

1. (1) This Ordinance may be called the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes) (Amendment) (Second) Ordinance, 2012.

(2) It shall be deemed to have come into force on May 7, 2012.

Amendment of section 3 of U.P Act no. 4 of 1994

2. In section 3 of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes) Act, 1994, hereinafter referred to as the principal Act, sub-section (7) shall be *omitted*.

U.P. Ordinance no. 2 of 2012

Repeal and saving

3. (1) The Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes) (Amendment) Ordinance, 2012 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Ordinance, as if the provisions of this Ordinance were in force at all material times.

B.L. JOSHI,
Governor,
Uttar Pradesh.

By order,
ZAKI ULLAH KHAN,
Pramukh Sachiv.

10एस0यू0पी0–ए0पी0 19 सा0 नियुक्ति–30-8-2012–(2487)–1000+2 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/आफसेट)।